

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2012/फाल्गुन 3, 1933

No. 51]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2012/PHALGUNA 3, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
संकाय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2012

विषय : "राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद्" को राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद् के रूप में पुनर्गठित करना।

फा. सं. 15-40(4)/2010-11/एजी.—सचिवान के अनुच्छेद 41 के भाग 4 ("राज्य की नीति के निर्देशक तत्व") का पाठ निम्नलिखित है :—

"राज्य अपनी आर्थिक समृद्धि और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, दुष्प्रा और निःशास्रता तथा अन्य अनर्ह अप्रव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा।"

2. केन्द्र सरकार ने जनवरी, 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति को स्वीकार किया जिसका पैरा 95 का पाठ निम्नानुसार है :—

"95. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में एक स्वायत्तशासी राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् का गठन वृद्धजन के सर्वोत्तमों के संवर्धन और समन्वयन के लिए किया जाएगा। परिषद् में संगत केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना अयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद् में 5 राज्यों का बारी-बारी से प्रतिनिधित्व होगा। इसमें गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक निकायों, मीडिया और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के वृद्धावस्था से जुड़े मुद्दों के विशेषज्ञों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।"

3. उपरोक्त के अनुसरण में, राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् को पहले इस मंत्रालय के दिनांक 10-5-1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22-3/99-एसडी के तहत गठित किया गया और बाद में दिनांक

1-8-2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15-38(14)/2003-एजी के तहत पुनर्गठित किया गया। दिनांक 1-8-2005 के कार्यालय ज्ञापन के तहत गठित राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् को सदस्यता में समय-समय पर वृद्धि भी की गई। तथापि इस समय राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् का कोई विशिष्ट ढांचा नहीं है।

4. संसद द्वारा दिसम्बर, 2007 में अधिनियमित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 में "वरिष्ठ नागरिक" को ही परिभाषित और संदर्भित किया गया है, "वृद्धजन" को नहीं। यह अधिनियम "वरिष्ठ नागरिक" को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है "जो भारत का नागरिक हो और जिसकी आयु 60 वर्ष अथवा अधिक हो"।

5. उपरोक्त के आलोक में, भारत सरकार ने अब राष्ट्रीय वृद्धजन परिषद् का नाम बदल कर "राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद्" करने और इसकी संरचना निर्धारित करने का निर्णय लिया है :—

I. केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री — अध्यक्ष
II. केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री — उपाध्यक्ष
III. पदेन सदस्य :

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2. अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
3. प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी :
 - i. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
 - ii. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
 - iii. पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
 - iv. रेलवे
 - v. उपरोक्ता मामले

- vi. श्रम और रोजगार
- vii. ग्रामीण विकास
- viii. आवास और शहरी नरीजी इन्फ्रस्ट्रक्चर
- ix. राशस्व
- x. वित्तीय सेवाएं
- xi. गृह मंत्रालय
- xii. विधि कार्य विभाग
- xiii. न्याय विभाग
- xiv. मानव संसाधन विकास
- xv. योजना आयोग

4. निम्नांकित आयोगों के प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं हैं :-

- i. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
- ii. राष्ट्रीय महिला आयोग

IV. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधि :-

5 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों से एक-एक प्रतिनिधि) और एक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि को बारी-बारी से केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है।

V. संसद सदस्य :-

- i. लोक सभा के सबसे पुराने सदस्य
- ii. राज्य सभा के सबसे पुराने सदस्य

VI. निम्नांकित श्रेणियों में से प्रत्येक से पांच प्रतिनिधि केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने हैं, उपर्युक्त IV में से 5 राज्यों में से एक प्रतिनिधि लिया जाएगा :

- i. वरिष्ठ नागरिक परिषद;
- ii. पेंशनभोगी परिषद;
- iii. वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठन;
- iv. वृद्धावस्था और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ

VII. पांच वरिष्ठ नागरिक केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने हैं किन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त की हो।

कॉलम VI और VII में नामित व्यक्तियों का 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

VIII. सदस्य सचिव-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में एजिंग विषय से संबंधित संयुक्त सचिव, परदेन सदस्य।

6. अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को परिषद में किसी एक बैठक अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकते हैं।

7. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और विन्माकित के विशेष उल्लेख के साथ जीवन की गुणवत्ता में इजाजा करने से जुड़े मुद्दों के सम्पूर्ण विषय पर केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देगी :-

- i. नीतियां, कार्यक्रम और विधायी उपाय;
- ii. वास्तविक और वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वतन्त्र एवं उत्कृष्टक जीवन निर्वाह का संवर्धन तथा
- iii. कामरुक्तता, सूजन और सामुदायिक मेल-मिलाप

8. श्रेणियों IV, V, VI और VII के अंतर्गत नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा किन्तु वे अपने उत्तराधिकारी के नामांकन तक पदासीन रह सकते हैं।

9. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की बैठक वर्ष में कम-से-कम दो बार होगी।

10. गैर-सरकारी सदस्यों को भारत सरकार के संगत नियमों/अनुदेशों के अनुसार मात्रा/वैयक्तिक भत्ता ग्राह्य होगा।

11. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की बैठकों पर होने वाला व्यय मंत्रालय के गैर-योजना बजट से पूरा किया जाएगा।

टी. आर. मीणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
RESOLUTION

New Delhi, the 17th February, 2012

Subject: Re-constitution of the "National Council for Older Persons" as the National Council of Senior Citizens (NCSrC)"

E. No. 15-40(4)/2010-11/AG—Article 41 in Part IV ("Directive Principles of State Policy") of the Constitution states as follows :

"The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other case of undeserved want".

2. The Central Government adopted a National Policy on Older Persons (NPOP) in January, 1999, Para 95 of which reads as follows :-

"95. An autonomous National Council for Older Persons (NCOP) headed by the Minister for Social Justice and Empowerment will be set up to promote and co-ordinate the concerns of older persons. The Council will include representatives of relevant Central Ministries and the Planning Commission. Five States will be represented on the Council by rotation. Adequate representation will be given to non-official members representing Non-Government Organizations, Academic Bodies, Media and Experts on Ageing issues from different Fields."

3. In pursuance of the above, an NCOP was first constituted vide this Ministry's OM No. 22-3/99-SD dated 10-5-1999 and was then reconstituted vide OM No. 15-38(14)/2003-AG dated 1-8-2005. Membership of the NCOP constituted vide OM dated 1-8-2005 was also

expanded from time to time. However, the NCOP does not, at present, have a definite structure.

4. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007, enacted by Parliament in December 2007, defines and refers to 'Senior Citizens' and not "older persons". It defines 'Senior Citizen' as "any person being a citizen of India, who has attained the age of sixty years or above".

5. In the light of the above, the Government of India has now decided to rename the National Council for Older Persons (NCOP) as the "National Council of Senior Citizens (NCSrC)" and to lay down its structure as follows:—

I. Union Minister for Social Justice and — Chairperson
Empowerment

II. Union Minister of State for Social — Vice Chairperson
Justice and Empowerment

III. Ex-Officio Members:

(1) Secretary, Ministry of Social Justice and
Empowerment

(2) Additional Secretary, Ministry of Social
Justice and Empowerment

(3) Representatives, not below the rank of a Joint
Secretary, in the following Ministries/
Departments:

i. Health and Family Welfare

ii. Department of Pensions and Pensioners
Welfare

iii. Ex-Servicemen's Welfare

iv. Railways

v. Consumer Affairs

vi. Labour and Employment

vii. Rural Development

viii. Housing and Urban Poverty Alleviation

ix. Revenue

x. Financial Services

xi. Home Affairs

xii. Legal Affairs

xiii. Justice

xiv. Human Resource Development

xv. Planning Commission

(4) Representatives of the following Commissions,
not below the rank of Joint Secretary:

i. National Human Rights Commission

ii. National Commission for Women

IV. Representatives of State Governments and Union
Territory administrations:—

Representatives of five State Governments (one
each from the North, South, East, West and North

Eastern regions) and of one Union Territory, to be
nominated by the Central Government, by
rotation.

V. Members of Parliament:—

i. Oldest Member of the Lok Sabha.

ii. Oldest Member of the Rajya Sabha

VI. Five representatives each from the following
categories to be nominated by the Central
Government, one from each of the five regions,
mentioned in IV above:

i. Senior Citizen's Associations;

ii. Pensioners' Associations;

iii. Non-Governmental Organisations working
for Senior Citizens;

iv. Experts in the field of Ageing, and other
related areas;

VII. Five senior citizens who have distinguished
themselves in various fields to be nominated by
the Central Government.

50% of the nominees at VI and VII shall be women.

VIII. Member Secretary-Joint Secretary dealing with the
subject of Ageing in the Ministry of Social Justice
and Empowerment, Ex-Officio.

6. The Chairperson may nominate any other suitable
person as a Special Invitees to the Council, either for an
individual meeting or for a specified period.

7. The NCSrC will advise Central and State
Governments on the entire gamut of issues related to
welfare of senior citizens and enhancement of their quality
of life, with special reference to the following:—

i. Policies, programmes and legislative
measures;

ii. Promotion of Physical and financial security,
health, and independent and productive
living, and

iii. Awareness generation and community
mobilization.

8. Members nominated under categories IV, V, VI and
VII shall have a tenure of three years but will continue till
nomination of their successors.

9. The NCSrC will meet at least twice a year.

10. T.A./D.A. etc. to non-official members will be
admissible as per relevant rules/instructions of the
Government of India.

11. Expenditure on meetings of the NCSrC shall be
met from the non-plan budget of the Ministry.

T. R. MEENA, Jt. Secy.